जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, प्रथम–सह–विशेष न्यायाधीश (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति, बच्चे, स्वापक औषधि और मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम), औरंगाबाद (बिहार)।

उपस्थित– विश्व विभूति गुप्ता

जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, प्रथम–सह–विशेष न्यायाधीश (अनुसूचित जाति/जनजाति, बच्चे, स्वापक औषधि और मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम), औरंगाबाद (बिहार)। सत्रवाद संख्या–55/2016 एन.टी.पी.सी. खैरा थाना कांड सं0–51/2014 दिनांक–07.04.2026	
अभियोजन	राज्य द्वारा भीम कुमार पासवान.....सूचक।
राज्य की ओर से	श्री शक्ति कुमार सिंह, विद्वान विशेष लोक अभियोजन पदाधिकारी।
अभियुक्तगण	1. अवधेश शर्मा पिता स्व0 डोमन शर्मा, 2. भीम शर्मा पिता अवधेश शर्मा, 3. बब्लु शर्मा पिता अवधेश शर्मा, तीनो निवासी ग्राम–अंकोरहा थाना–एन.टी.पी.सी. खैरा, जिला– औरंगाबाद (बिहार)।
बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता	श्री परशुराम सिंह।

अपराध की तिथि	15.06.2014
प्राथमिकी की तिथि	16.06.2014
अंतिम प्रपत्र की तिथि	12.12.2014
आरोप गठन की तिथि	22.12.2016
साक्ष्य प्रारम्भ होने की तिथि	03.01.2017
तिथि जिसके द्वारा निर्णय हेतु रखा गया	07.04.2026
निर्णय की तिथि	07.04.2026
सजा आदेश की तिथि, यदि कोई हो	नहीं

अभियुक्तगण विवरणी

क्रम	अभियुक्तगण का नाम	गिरफ्तारी की तिथि	जमानत प्राप्ति की तिथि	आरोप गठन की धारा	दोष मुक्ति / दोष सिद्धि	सजा की अवधि	विचारण के दौरान कारा में बिताई गयी अवधि का धारा 428 दं0प्र0सं0 के तहत समायोजन
1	अवधेश शर्मा	18.11.2014	18.11.2014	धारा 341/34, 323/34, 504/34, 506/34 भा0दं0सं0 एवं धारा 3(i)(x) अनुसूचित जाति/जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम	दोष मुक्त	नहीं	–
2	भीम शर्मा						
3	बब्लु शर्मा						

अभियोजन/बचाव पक्ष/न्यायालय के गवाहों की सूची

क. अभियोजन गवाह,

क्रम	नाम	साक्ष्य का प्रकार (चक्षुदर्शी, पुलिस गवाह, विशेषज्ञ गवाह, चिकित्सीय गवाह, पंच गवाह, अन्य गवाह)
1	विनय पासवान	अन्य गवाह
2	सोनिया देवी	सूचक की पत्नी/गवाह
3	भीम कुमार पासवान	सूचक/गवाह

जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, प्रथम–सह–विशेष न्यायाधीश (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति, बच्चे, स्वापक औषधि और मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम), औरंगाबाद (बिहार)।

उपस्थित– विश्व विभूति गुप्ता

ख. बचाव पक्ष के गवाह (यदि कोई हो) शून्य

क्रम	नाम	साक्ष्य का प्रकार (चक्षुदर्शी, पुलिस गवाह, विशेषज्ञ गवाह, चिकित्सीय गवाह, पंच गवाह, अन्य गवाह)
1	xx	xx

ग. न्यायालय गवाह (यदि कोई हो) शून्य

क्रम	नाम	साक्ष्य का प्रकार (चक्षुदर्शी, पुलिस गवाह, विशेषज्ञ गवाह, चिकित्सीय गवाह, पंच गवाह, अन्य गवाह)
1	xx	xx

<u>अभियोजन/बचाव पक्ष/न्यायालय के प्रदर्श की सूची</u>

क. अभियोजन प्रदर्श,

क्रम	प्रदर्श संख्या	विवरण
1	प्रदर्श–P-1	थाना पर दिये गये लिखित आवेदन पर सूचक का हस्ताक्षर

ख. बचाव पक्ष प्रदर्श, शून्य

क्रम	प्रदर्श संख्या	विवरण
1	xx	xx

ग. न्यायालय प्रदर्श, शून्य

क्रम	प्रदर्श संख्या	विवरण
1	xx	xx

घ. वस्तु प्रदर्श

क्रम	प्रदर्श संख्या	विवरण
1	xx	xx

<u>निर्णय</u>

1. प्रस्तुत वाद में उपरोक्त नामांकित अभियुक्तगण के विरूद्ध धारा 341/34, 323/34, 504/34, 506/34 भा0दं0सं0 एवं धारा 3(i)(x) अनुसूचित जाति/जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम के अंतर्गत दिनांक–22.12.2016 को आरोप का निर्धारण कर विचारण किया गया।

<u>अभियोजन कथानक</u>

2. प्रस्तुत वाद में संक्षिप्त में अभियोजन का मामला यह है कि दिनांक–15.06.2014 को समय तीन बजे दोपहर में सूचक भीम कुमार पासवान के घर में घुसकर उपरोक्त अभियुक्तगण ने जाति सूचक शब्द का प्रयोग करते हुए गाली–गलौज किया और जान से मारने की धमकी दिया और फैट–मुक्का से मारपीट किया। सूचक की पत्नी सूचक को पकड़ कर रोने लगी तो उसे भी जाति सूचक शब्द का प्रयोग करते हुए गाली–गलौज किया।

3. प्रस्तुत वाद में सूचक द्वारा दिये गये लिखित आवेदन के आधार पर एन.टी.पी. सी. खैरा थाना कांड संख्या–51/2014 दिनांक–16.06.2014 दर्ज की गई। अनुसंधानक द्वारा अनुसंधानोपरांत उपरोक्त अभियुक्तगण के विरूद्ध धारा 341, 323, 504, 506 भा0दं0सं0 एवं धारा 3(i)(x) के अंतर्गत आरोप पत्र समर्पित किया गया है।

4. दिनांकः–04.08.2015 को उपरोक्त अभियुक्तगण के विरूद्ध धारा 341, 323, 504, 506 भा0दं0सं0 एवं धारा 3(i)(x) अनुसूचित जाति/जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम के अंतर्गत संज्ञान लिया गया।

5. प्रस्तुत वाद में अभियुक्तगण के विरूद्ध दिनांक–22.12.2016 को धारा 341/34, 323/34, 504/34, 506/34 भा0दं0सं0 एवं धारा 3(i)(x) अनुसूचित जाति/जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम के अंतर्गत आरोप का गठन कर, आरोप हिन्दी में पढ़कर सुनाया एवं समझाया गया, जिससे अभियुक्तगण ने इंकार किया और विचारण की मांग की।

6. प्रस्तुत वाद में अभियुक्तगण का बयान दिनांकः–07.04.2026 को धारा 313 दं0प्र0सं0 के तहत लिया गया, जिसमें उन्होने अपने आप को निर्दोष बताया।

7. प्रस्तुत विचारण में मुख्य प्रश्न यह है कि क्या अभियोजन ने अभियुक्तगण के विरूद्ध धारा 341/34, 323/34, 504/34, 506/34 भा0दं0सं0 एवं धारा 3(i)(x) अनुसूचित जाति/जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम के अभियोग को युक्तियुक्त संदेह से परे साबित किया है या नहीं ?

अभियोजन साक्ष्य

8. प्रस्तुत वाद में अभियोजन की ओर से तीन साक्षी नामतः अभियोजन साक्षी संख्या–1 विनय पासवान, अभियोजन साक्षी संख्या–2 सोनिया देवी एवं अभियोजन साक्षी संख्या–3 भीम कुमार पासवान (सूचक) को प्रस्तुत किया गया है।

अभियोजन की ओर से दस्तावेजी साक्ष्य में सूचक के द्वारा थाना पर दिये गये आवेदन पर किये गये हस्ताक्षर को प्रदर्श–P-1 अंकित किया गया है।

बचाव पक्ष की ओर से कोई भी मौखिक या दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया।

9. अभियोजन साक्षी संख्या–1 विनय पासवान को अभियोजन के निवेदन पर पक्षद्रोही साक्षी घोषित किया गया है।

10 अभियोजन साक्षी संख्या–2 सोनिया देवी ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन की है

कि घटना आज से लगभग 7–8 साल पहले की है। अवधेश शर्मा, बबलु शर्मा, भीम शर्मा मेरे पति से बकझक किये थे। अभियुक्तगण मेरे पति से पैसा मॉग रहे थे, मेरे पति उनलोगो को पैसा नहीं दिये तब वे लोग मेरे पति को फैट मुक्का से मार दिये।

इस साक्षी ने अपने प्रतिपरीक्षण के दौरान कथन किया है कि किसी अभियुक्तगण ने मेरे पति के साथ मारपीट नहीं किया था। तथा किसी अभियुक्तगण ने मेरे पति को जाति सूचक शब्द कह कर अपमानित नहीं किया था। इस मामले में अभियुक्तगण से सुलह हो गया है और आपस में मिलजुल कर गॉव में रह रहे है तथा उनसे किसी तरह का कोई विवाद नहीं रह गया है।

अभियोजन साक्षी संख्या–3 भीम कुमार पासवान (सूचक) ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि यह केस मैने ही किया है। एन0टी0पी0सी0 खैरा में मैने केस करने के लिये स्वयं आवेदन लिख कर थाना में दिया था। जो मेरे लिखावट एवं हस्ताक्षर सहित है। मैं अपने लिखावट एवं हस्ताक्षर को पहचानता हूँ। जिसे प्रदर्श **P-1** अंकित किया गया। घटना दिनांक 11.04.2014 के समय 3 बजे की है। उस समय मैं अपने घर पर था। उस समय बबलु शर्मा, भीम शर्मा और अवधेश शर्मा मेरे घर पर आये और जोर जबरदस्ती से पैसा मॉग रहे थे, मेरे मना करने पर वे लोग मुझे फैट मुक्का से मारपीट कर दिये। इस बात के लिये थाना में केस किये थे।

इस साक्षी ने अपने प्रतिपरीक्षण के दौरान कथन किया है कि इस केस अभियुक्तगण मेरे साथ मारपीट और गाली गलौज किये थे। किसी अभियुक्तगण ने मुझे जाति सूचक शब्द कह कर अपमानित नहीं किया था। केस करने के लिये आवेदन मुझे दारोगा जी ने बोल कर लिखावाया था। जबकि मैने उन्हें जाति सूचक शब्द के बारे में नहीं कहा था। इस मामले में अभियुक्तगण से सुलह हो गया है और आपस में मिलजुल कर गॉव में रह रहे है। सुलह हो जाने के कारण अभियुक्तगण से केस नहीं लड़ना चाहते है और न ही अन्य गवाही देना चाहते है। इस मामले में हम दोनों पक्ष राजी खुशी से सुलहनामा दाखिल किये है तथा अपना अपना हस्ताक्षर किये है।

मन्तव्य

11. अभिलेख का अवलोकन किया। अभियोजन की ओर से प्रस्तुत साक्षियों का साक्ष्य का परिशीलन किया जिससे विदित होता है कि इस मामले के सबसे महत्वपूर्ण साक्षी अभियोजन साक्षी संख्या–3 जो स्वयं सूचक है के द्वारा प्रतिपरीक्षण के दौरान कथन किया है किइस केस अभियुक्तगण मेरे साथ मारपीट और गाली गलौज किये थे। किसी अभियुक्तगण ने मुझे जाति सूचक शब्द कह कर अपमानित नहीं किया था। केस करने के लिये आवेदन मुझे दारोगा जी ने बोल कर लिखावाया था। जबकि मैने उन्हें जाति सूचक शब्द के बारे में नहीं कहा था। इस मामले में अभियुक्तगण से सुलह हो गया है और आपस में मिलजुल कर गॉव में रह रहे है। सुलह हो जाने के कारण अभियुक्तगण से केस नहीं लड़ना चाहते है और न ही अन्य गवाही देना चाहते है। इस मामले में हम दोनों पक्ष राजी खुशी से सुलहनामा दाखिल किये है तथा अपना अपना हस्ताक्षर किये है। इस साक्षी के साक्ष्य से

सम्पूर्ण अभियोजन कथानक संदेहास्पद हो जाता है।

12. अभियोजन अन्य साक्षियों, चिकित्सक एवं अनुसंधानकर्ता का साक्ष्य कराने में असफल रहा है तथा अभियोजन के निवेदन पर अभियोजन साक्ष्य बंद किया गया है। इस प्रकार अभियोजन की ओर से प्रस्तुत साक्ष्य से कथित घटना में अभियुक्तगण की संलिप्तता साबित नहीं होता है।

13. प्रस्तुत वाद में अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री, वाद के तथ्यों एवं परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए न्यायालय यह पाती है कि अभियोजन ने अभियुक्तगण के विरूद्ध धारा 341/34, 323/34, 504/34, 506/34 भा0दं0सं0 एवं धारा 3(i)(x) अनुसूचित जाति/जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम के अभियोग को युक्तियुक्त संदेह से परे साबित करने में पूरी तरह से असफल रहा है। फलतः

आदेश

14. अतः उपरोक्त अभियुक्तगण नामतः 1.अवधेश शर्मा, 2. भीम शर्मा एवं 3. बब्लु शर्मा को धारा 341/34, 323/34, 385/34, 504/34 भा0दं0सं0 एवं धारा 3(i)(x) अनुसूचित जाति/जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम के अभियोग से पर्याप्त साक्ष्य के अभाव में संदेह का लाभ देते हुए दोषमुक्त किया जाता है। वाद के सभी जमानतदारों को उनके बंधपत्र के दायित्वों से मुक्त किया जाता है। कार्यालय लिपिक को निर्देश दिया जाता है कि आवश्यक प्रविष्टियोंपरांत अभिलेख को अभिलेखागार में जमा करें।

लेखापित

(विश्व विभूति गुप्ता),
जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, प्रथम–सह–विशेष
न्यायाधीश (अनुसूचित जाति/जनजाति, बच्चे, स्वापक
औषधि और मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम), औरंगाबाद (बिहार)।
07.04.2026

निर्णय आज खुले न्यायालय में लेखापित, शुद्धित एवं हस्ताक्षरित कर उद्घोषित किया गया।

लेखापित

(विश्व विभूति गुप्ता),
जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, प्रथम–सह–विशेष
न्यायाधीश (अनुसूचित जाति/जनजाति, बच्चे, स्वापक
औषधि और मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम), औरंगाबाद (बिहार)।
07.04.2026

निर्णय की तिथि	07.04.2026
निर्णय सुरक्षित रखने की तिथि	नही
अपलोड करने की तिथि	08.04.2026
द्वारा अपलोड किया गया	स्टेनोग्राफर